इकाई 18 लघु उद्योग क्षेत्र

इकाई की रूपरेखा

18.0 उद्देश्य
18.1 प्रस्तावना
18.2 लघु उद्योग की परिभाषा
18.3 लघु उद्योग के पीछे औचित्य
18.4 भारतीय अर्थव्यवस्था में लघु उद्योग का विकास
18.5 लघु क्षेत्र की असमर्थताओं को हटाने के प्रति सरकारी नीति
18.6 लघु क्षेत्र औद्योगिक नीति (1991)
18.7 आठवीं योजना में ग्रामीण लघु उद्यम
18.8 सरकारी घोषणाओं तथा वास्तविक नीति अमल के बीच अंतर
18.9 सारांश
18.10 शब्दावली
18.11 कुछ उपयोगी पुस्तकें
18.12 बोध प्रश्नों के उत्तर अथवा दिशा-संकेत

18.0 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के पश्चात् आप निम्नलिखित कर सकेंगे :

- लघु उद्योग की परिभाषाएँ जान सकेंगे;
- लघु उद्योग को प्रोत्साहन देने के पीछे कारण समझा सकेंगे;
- उत्पादन, रोज़गार व निर्यात के दृष्टिकोण से लघु उद्योग का योगदान बता सकेंगे·
- लघु उद्योग क्षेत्र की असमर्थताओं को जान सकेंगे;
- आठवीं योजना में लघु क्षेत्र के लक्ष्य और उपलब्धियाँ बता सकेंगे, तथा
- लघु क्षेत्र नीति के बारे में सरकारी घोषणाओं और वास्तविक अमल करने के बीच अंतर समझा सकेंगे।

18.1 प्रस्तावना

भारत में लघु उद्योग का महत्त्वपूर्ण स्थान है। यह उद्योग पर्याप्त मात्रा में उत्पादन, रोज़गार और निर्यात में योगदान देते हैं। इसके अतिरिक्त यह संतुलित क्षेत्रीय विकास के लक्ष्य की पूर्ति में भी सहायता करते हैं। अतः सरकार ने लघु उद्योगों को एक अलग श्रेणी में रखा और इसकी वृद्धि के लिए विभिन्न कदम उठाए। इन इकाइयों को निर्यात पर छूट, कम ब्याज की दरों पर ऋण और कर में छूट जैसे कई रियायतें दी। कुछ विशेष श्रेणी के उद्योग भी इन इकाइयों के लिए सुरक्षित रखे गए।

18.2 लघु उद्योग की परिभाषा

लघु उद्योग की परिभाषा समय के साथ-साथ बदलती रही है। आज़ादी के बाद की शुरू की अवधि में जिस उद्यम में 5 लाख रुपये से कम का पूँजी निवेश होता था, उसे लघु उद्यम

के वर्ग में रखा जाता था। साथ-साथ सरकार ने इन उद्योगों को दो और वर्गों में बाँटा था : (1) वे जो बिजली का प्रयोग करते हैं लेकिन जिसमें श्रमिकों की संख्या 50 से कम है, तथा (2) वे जो बिजली का प्रयोग नहीं कर रहे हैं लेकिन श्रमिकों की संख्या 100 से कम है। बाद में 1966 में यह रोज़गार मापदंड समाप्त कर दिया गया। अब 7.5 लाख से कम पूँजी निवेश वाले उद्यम को लघु उद्यम कहा गया। साथ-साथ एक नया वर्ग बनाया गया जिसे सहायक उद्योग (ancillary industry) कहा गया। इसकी पूँजी निवेश सीमा 10 लाख रुपये थी। 1975 में लघु उद्यम की पूँजी निवेश सीमा बढ़कर 10 लाख रुपये और सहायक उद्योग की 15 लाख रुपये हो गई। एक और नया वर्ग 'अत्यंत लघु क्षेत्र' (Tiny setor) बना जिसकी पूँजी निवेश सीमा एक लाख रुपये रखी गई। 1980 में ये सीमाएँ फिर बढ़ीं। लघु उद्यम, सहायक उद्योग व अत्यंत लघु उद्योग की ये पूँजी निवेश सीमाएँ अब क्रमशः 20 लाख, 25 लाख व 2 लाख रुपये थी। 1985 में लघु उद्योग की सीमा बढ़कर 35 लाख रुपये तथा सहायक उद्योग की सीमा 45 लाख रुपये हो गई। अत्यंत लघु उद्योग की पूँजी सीमा वही 2 लाख रुपये रही।

1990 में ये सीमाएँ फिर बढ़ीं। लघु उद्योग की सीमा अब 60 लाख रुपये और सहायक उद्योग की सीमा 75 लाख रुपये हो गई। सहायक उद्योग की परिभाषा में थोड़ा परिवर्तन आया। अब उस इकाई को सहायक उद्योग माना गया जोकि अपने उत्पादन का 50 प्रतिशत से अधिक भाग एक या अधिक इकाइयों को बेचती है। अत्यंत लघु उद्योग की पूँजी निवेश सीमा भी अब बढ़कर 5 लाख रुपये हो गई।

1997 में आबिद हुसैन कमेटी की सिफारिश के आधार पर लघु उद्योग की सीमा 60 लाख से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपये (300 लाख रुपये) कर दी गई। सहायक उद्योग की सीमा भी 75 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 करोड़ कर दी गई। अत्यंत लघु उद्योग की सीमा 5 लाख रुपये से बढ़कर 25 लाख रुपये हो गई।

तालिका 18.1 : संयंत्र व मशीनरी में स्थिर पूँजी निवेश के आधार पर लघु उद्योग, सहायक उद्योगों व अत्यंत लघु उद्योगों की सीमा

(लाख रुपये में)

	अत्यंत लघु उद्योग (से कम)	लघु उद्योग (से कम)	सहायक उद्योग (से कम)
1950 तक	—	5	—
1966	—	7.5	10
1975	1	10	15
1980	2	20	35
1985	2	35	40
1990	5	60	75
1997	25	300	300

स्रोत : विभिन्न औद्योगिक नीति प्रस्ताव तथा सरकारी अधिसूचनाएँ

सरकार लघु उद्योग, सहायक उद्योग व अत्यंत लघु उद्योग की पूँजी निवेश सीमा समय के साथ-साथ बढ़ती हुई कीमतों को ध्यान में रखकर बढ़ाती रही है। साथ-साथ रोज़गार व निर्यात बढ़ाने का उद्देश्य भी ध्यान में था। लेकिन 1990 की तुलना में 1997 में निवेश सीमा में आबिद हुसैन कमेटी द्वारा पाँच गुना वृद्धि एक असमान्य वृद्धि है। कमेटी के अनुसार नए उद्यमियों को अत्यंत लघु क्षेत्र में आसानी से प्रवेश मिल सके और सफल उद्यमी जब तक

3 करोड़ रुपये की सीमा तक नहीं पहुँच पाते उनको सब प्रकार की सहायता मिलती है। इस सीमा के बाद उन्हें प्रोत्साहन सहायता की आवश्यकता नहीं रहेगी।

पारम्परिक और आधुनिक लघु उद्योगों का वर्गीकरण

लघु उद्योग को पारम्परिक और आधुनिक उद्योग में बाँटा जाता है। पारम्परिक उद्योग में खादी व हथकरघा, ग्रामीण उद्योग, हस्तकला, रेशम उत्पादन आदि आते हैं। इन्हें कुटीर उद्योग भी कहा जाता है। इन इकाइयों की विशेषता है कि इनमें पूर्णकालिक (Full time) रोज़गार नहीं मिलता है। उनसे अंशकालिक (Part time) रोज़गार ही मिलता है। इस प्रकार कृषि मजदूरों और कारीगरों के लिए यह अतिरिक्त आय का स्रोत है।

दूसरी और आधुनिक लघु उद्यम साधारण वस्तुओं से लेकर जटिल वस्तुओं तक सभी कुछ उत्पादन करते हैं, जैसे बिजली के स्विच, बिजली के हीटर, बिजली की प्रेस, आधुनिक खिलौने, कम्प्यूटर के पुर्जे आदि। ये अधिक कीमत वाले उत्पाद बनाते हैं। 1996-97 में आधुनिक लघु उद्योगों का उत्पादन ढाई हजार अरब रुपये से भी अधिक (2,53,343 करोड़ रुपये) था जबकि पारंपरिक क्षेत्र का उत्पादन लगभग 4.14 अरब रुपये से अधिक (41,432 करोड़ रुपये) था जबकि पारंपरिक क्षेत्र का उत्पादन लगभग 414 अरब रुपये से अधिक (41, 432 करोड़ रुपये) था। इस प्रकार लघु उद्यम क्षेत्र के लगभग 3000 अरब रुपये (2,94,755 करोड़ रुपये) के उत्पादन में आधुनिक उद्योगों का योगदान 86 प्रतिशत और पारंपरिक क्षेत्र का केवल 14 प्रतिशत था। लेकिन इसके विपरीत पारंपरिक उद्योगों ने 264 लाख लोगों को रोज़गार दिया जबकि आधुनिक उद्योग ने केवल 179 लाख लोगों को। इस प्रकार प्रतिशत के रूप में यह योगदान क्रमशः 60 और 40 प्रतिशत था। इससे यह पता चलता है कि आधुनिक क्षेत्र में प्रति व्यक्ति उत्पादन 1,41,532 रुपये था जबकि पारंपरिक क्षेत्र में यह 5,694 रुपये था। इस प्रकार आधुनिक क्षेत्र में प्रति व्यक्ति उत्पादन पारंपरिक क्षेत्र की तुलना में लगभग 9 गुना है। इसका कारण उन्नत प्रौद्योगिकी व ऊँची कीमत वाले उत्पादों का उत्पादन हैं।

बोध प्रश्न 1

1) आप लघु उद्योग की कैसे व्याख्या करेंगे?

.....

.....

.....

.....

.....

2) सहायक उद्योग की परिभाषा दीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

18.3 लघु उद्योग के पीछे औचित्य

कुछ अर्थशास्त्री लघु उद्योग को संरक्षण प्रदान करने के विरुद्ध हैं लेकिन अन्य इसके पूरे पक्ष में हैं। 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव में इसके पक्ष में चार तर्क दिए थे :

प्रस्ताव के अनुसार, लघु उद्यम तुरंत बड़े पैमाने पर रोज़गार देते हैं, राष्ट्रीय आय का समान वितरण सुनिश्चित करते हैं तथा पूँजी और कौशल के रूप में ऐसे साधन जुटाते हैं जोकि लघु उद्यम न होने की दशा में शायद प्रयोग में ही नहीं आ पाते। योजना रहित शहरीकरण से जो समस्याएँ पैदा होती हैं, इससे सारे देश में लघु उद्योग केन्द्र खोलने से बचा जा सकता है। औद्योगिक नीति प्रस्ताव में दिए गए चार तर्क इस प्रकार हैं :

1) **रोज़गार तर्क :** लघु उद्योग के पक्ष में सबसे महत्त्वपूर्ण तर्क यह है कि ये उद्योग थोड़ी-सी पूँजी से अधिक रोज़गार पैदा कर सकते हैं। ये श्रम प्रधान होते हैं। इनकी तुलना में बड़े उद्योगों, विशेषतः भारी उद्योग व बुनियादी सुविधाएँ, को प्रति श्रमिक भारी निवेश की आवश्यकता पड़ती है। अतः लघु उद्योग के पक्षधर रोज़गार के आधार पर इनका पक्ष लेते हैं। 'उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण' (Annual Survey of Industries) (1985-86) के अनुसार बड़ी इकाइयों में प्रति श्रमिक पूँजी 1,67,680 रुपये थी, जबकि लघु इकाइयों में यह 29800 रुपये थी। यानि उसी पूँजी से लघु इकाइयाँ 5-6 गुना रोज़गार पैदा कर सकती थी। अतः भारत जैसे कम पूँजी और अधिक श्रम वाले देश में रोज़गार दिलाने हेतु लघु उद्योग की बहुत आवश्यकता है।

2) **समानता तर्क** : बड़े उद्योग से आय कुछ पूँजीपतियों के हाथ में चली जाती है। लघु व कुटीर उद्योग क्षेत्र में श्रमिकों और मालिकों की संख्या अधिक होने के कारण आय अधिक समान रूप से बँटती है। अतः औद्योगिक असमानताएँ घटाते हैं और आर्थिक न्याय दिलाते हैं। इस उद्योग द्वारा ग्रामीण व कस्बाई क्षेत्रों में बसे मालिकों के बीच आय का वितरण होता है एवं इससे उद्योग से होने वाले लाभ अधिक समान रूप से बँटते हैं। अतः ये आर्थिक समानता लाते हैं।

3) **विकेन्द्रीकरण तर्क** : लघु उद्योग को थोड़ी पूँजी तथा साधारण मशीनी औजारों व उपकरणों की आवश्यकता होती है। ये दूर-दूर तक कहीं भी लगायी जा सकती है। बड़े उद्योग प्रायः बड़े शहरों और कस्बों में ही होते हैं। इससे शहरों में भीड़-भाड़ होती है, प्रदूषण फैलता है, गंदी बस्तियाँ बनती हैं— ये सब स्वास्थ्य के लिए खतरा हैं। लघु उद्योग की सहायता से उत्पादन का विकेन्द्रीकरण कर इन समस्याओं से काफी हद तक बचा जा सकता है। ग्रामीण तथा कस्बाई लोग शहरों में जाएँ, इससे अच्छा है उद्योग गाँवों और कस्बों में जाएँ। अतः विकेन्द्रीकरण लाभकारी होता है क्योंकि यह अधिक फैलाव लाता है।

4) **अप्रकट (Latent) साधन तर्क** : लघु उद्यम गाँवों और कस्बों की प्रतिभा और बेकार पड़े साधनों को जुटाने में सहायक हो सकते हैं। छोटे उद्योगपति अपनी प्रतिभा और सीमित साधन जुटाकर लघु इकाई स्थापित कर सकते हैं। दूसरे, औद्योगिक इकाइयाँ उन स्थानों पर स्थापित की जा सकती हैं जहाँ कच्चा माल उपलब्ध हो। छोटी इकाइयाँ स्थानीय कच्चा माल व स्थानीय प्रतिभा का प्रयोग कर सकती हैं। तीसरे, लघु उद्योग

की सहायता से उद्योग का फैलाव कर सारे देश में बेकार पड़ी छोटी-छोटी बचतों को जुटाकर इन उद्योगों में लगाया जा सकता है।

कुछ अर्थशास्त्री रोज़गार तर्क का विरोध करते हैं कि केवल रोज़गार के लिए रोज़गार पैदा करना ज़रूरी नहीं है। ज्यादा ज़रूरी है दुर्लभ साधनों का सर्वोत्तम उपयोग। अन्य शब्दों में रोज़गार तर्क वास्तव में 'उत्पादन तर्क' है। बड़े कारखानों का दो या तीन पारियों (Shift) में काम करना आम बात है जबकि लघु उद्योग में ऐसा नहीं है। अतः ऐसा लगता है कि लघु उद्योग कम पूँजी का प्रयोग करते हैं, लेकिन वास्तविकता में, आधुनिक मशीनों को प्रयोग करने वाले छोटे कारखाने सबसे ज्यादा पूँजी का इस्तेमाल करते हैं।

तालिका 18.2 : उद्योगों में उत्पादक पूँजी, रोज़गार व मूल्य संवृद्धि (1993-94)

संयंत्र और मशीनों का सकल मूल्य	प्रति कर्मचारी उत्पादक पूँजी (रुपये)	प्रति कर्मचारी संवृद्धि मूल्य	प्रति पूँजी इकाई संवृद्धि मूल्य
अत्यंत लघु इकाइयाँ (50 लाख रुपये तक)	33945	32677	0.96
लघु इकाइयाँ (50 लाख रुपये तक)	65409	44861	0.68
बड़ी इकाइयाँ (50 लाख रुपये तथा इससे अधिक)	527296	136038	0.26

स्रोत : Annual Survey of Industries (1993-94)

इसमें कोई शक नहीं है कि आधुनिकीकरण बढ़ने के साथ लघु उद्योग का पूँजी श्रम अनुपात ऊँची दर से बढ़ रहा है। परिणामस्वरूप बड़े उद्योगों की पूँजी गहनता बढ़ रही है।

उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण (1993-94) के आँकड़ों से पता चलता है कि बड़ी इकाइयों की प्रति कर्मचारी पूँजी लघु इकाइयों की अपेक्षा 8.1 गुना है। लेकिन लघु इकाइयों की प्रति श्रमिक संवृद्धि मूल्य (Value added) बड़ी इकाइयों की तुलना में 3.03 गुना है। ये परिणाम इस बात का समर्थन हैं एक पूँजी दुलर्भ अर्थव्यवस्था, जोकि रोज़गार व उत्पादन के उद्देश्यों के अनुरूपता लाने का प्रयत्न करा रही है, में रोज़गार व उत्पादन के दृष्टिकोण से लघु उद्योग का कितना महत्त्व है।

18.4 भारतीय अर्थव्यवस्था में लघु उद्योग का विकास

भारत सरकार लघु उद्योग को प्रोत्साहन दे रही है। इस हेतु बहुत से उपाय किए गए हैं। लघु क्षेत्र के लिए बहुत-सी वस्तुएँ आरक्षित की गई हैं। 1972 में आरक्षित वस्तुओं की संख्या 177 से बढ़कर 1983 में 837 हो गई थी। इस समय लघु क्षेत्र 7500 वस्तुएँ बना रहा है।

सरकार लघु इकाइयों को सस्ता ऋण भी देती है। सरकार ने खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के अधीन विपणन केन्द्रों की एक शृंखला शुरू की है। लघु उद्योग में लगे श्रमिकों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र खोले गए हैं। इनके परिणामस्वरूप लघु उद्योग क्षेत्र बहुत अधिक उन्नति की है।

लघु इकाइयों की संख्या जोकि 1973-74 में 4.2 लाख थी, 1995-96 में बढ़कर 27.24 लाख हो गई। 1973-74 में लघु क्षेत्र में 40 लाख लोग रोज़गार में लगे थे। 1990-91 में ये बढ़कर

125 लाख और 1995-96 में 153 लाख हुए। लघु क्षेत्र का उत्पादन जो 1973-74 में 7,200 करोड़ रुपये था 1990-91 में 1,53,340 करोड़ रुपये हुआ और 1995-96 में 3,56,213 करोड़ रुपये हुआ।

तालिका 18.3 : लघु क्षेत्र में उत्पादन, रोज़गार व निर्यात

वर्ष	उत्पादन (करोड़ रुपये)	रोज़गार (करोड़ रुपये)	निर्यात (करोड़ रुपये)
1973-74	7200	39.7	393
1980-81	28060	71.0	1643
1990-91	155340	125.3	9100
1995-96	356213	152.6	36470
चक्रवती वृद्धि–दर (प्रतिशत प्रतिवर्ष)			
1973-74 से 1980-81	21.4	8.7	22.6
1980-81 से 1990-91	18.6	5.8	18.6
1990-91 से 1995-96	18.0	4.0	14.9

स्रोत : 1) Handbook of Industrial Statistics (1987)

2) Report on Currency and Finance (1995-96)

1980-81 और 1990-91 के उत्पादन वृद्धि की दर 18.6 प्रतिशत प्रतिवर्ष थी। अगले पाँच वर्षों में (1990-91 से 1995-96) यह दर लगभग 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष थी। यही बड़ी प्रशंसनीय वृद्धि है। इसीलिए लघु उद्योग क्षेत्र एक गतिशील क्षेत्र है।

1980-81 और 1990-91 के बीच रोजगार वृद्धि-दर 5.8 प्रतिशत थी और अगले पाँच वर्षों में (1990-91 से 1995-96) यह बढ़कर 4 प्रतिशत हो गयी। यह वृद्धि दर बड़े उद्योगों और सारी अर्थव्यवस्था में वृद्धि दर से अधिक है।

लघु उद्योग क्षेत्र निर्यात में बहुत तेज प्रगति की है। 1980-81 में निर्यात का मूल्य 1643 करोड़ रुपये था जोकि 1990-91 में 9100 करोड़ और 1995-96 में 36470 करोड़ रुपये हो गया। देश के कुल निर्यात में लघु उद्योग का योगदान 1995-96 में 34 प्रतिशत था, जबकि 1990-91 में यह केवल 28 प्रतिशत और 1973-74 में केवल 15.6 प्रतिशत था। सिले सिलाए वस्त्रों, डिब्बाबंद व संसाधित मछलियों, चमड़े के उत्पादों, हॉजरी का सामान, समुद्री उत्पाद आदि के निर्यातों में काफी अधिक वृद्धि हुई। निर्यात में इसके प्रमुख योगदान और विदेशी मुद्रा कमाने में इसके योगदान के नाते लघु उद्योग क्षेत्र को और अधिक प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है।

18.5 लघु क्षेत्र की असमर्थताओं को हटाने के प्रति सरकारी नीति

लघु क्षेत्र की प्रमुख समस्या बड़े उद्योगों से प्रतियोगिता तथा उनकी तुलना में अधिक लागत है। सरकार उनको कच्चा माल और आयातित उपकरण व साज़-सामान दिलाने में इनकी सहायता कर रही हैं। दूसरे, सस्ता ऋण न मिलना या ऋण ही न मिलना एक और समस्या

है। तीसरे, तकनीकी कुशलता तथा प्रबंधन योग्यताओं का नीचा स्तर, इनकी एक और कमजोरी है। चौथे, विपणन, गुणवत्ता का मानकीकरण, डिज़ाइन में सुधार तथा विज्ञापन इनकी अन्य कमज़ोरियाँ रही हैं।

आइए देखें कि इन कमियों को दूर करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं :

असमर्थताओं को दूर करने के उपाय

1) **कच्चेमाल व आयातित पुर्जे और साज़-सामान का निर्धारण :** द्वितीय अंतरराष्ट्रीय टीम (Second International Team) की सिफारिशों को मानते हुए सरकार ने लघु क्षेत्र को कच्चे माल व आयातित पुर्जे और साज़-सामान के निर्धारण में प्राथमिकता देने की घोषणा की है। इस उद्देश्य से सरकार ने लघु उद्योग विकास निगम (Small Industries Development Corporation) की स्थापना की। लेकिन सरकार की नीति से सब संतुष्ट नहीं हैं। सातवीं योजना के अनुसार हालाँकि सैद्धांतिक तौर पर लघु क्षेत्र को प्राथमिकता का दर्ज़ा दिया जबकि वास्तव में इसके साथ अवशिष्ट क्षेत्र (residuary sector) का सा व्यवहार किया गया। 1991 के नए आर्थिक नीति में सरकार ने निगम क्षेत्र पर आवश्यकता से अधिक बल दिया है जबकि लघु क्षेत्र की अनदेखी की है। उत्पादन व रोज़गार के हित में इस नीति में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है।

2) **ऋण सहायता :** लघु क्षेत्र को ऋण मिलना एक प्रमुख समस्या है। यदि मिलता है तो ऊँची ब्याज दर पर। परिणामस्वरूप लघु क्षेत्र अपने उत्पादन लक्ष्य पूरे नहीं कर पाता। इस उद्देश्य से सरकार ने, विशेषतः 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात्, लघु क्षेत्र को प्राथमिकता का क्षेत्र बना दिया। 1967 में लघु क्षेत्र को कुल ऋण का 6.6 प्रतिशत भाग उपलब्ध था जोकि 1994 में 28 प्रतिशत हो गया। यानि 1994 में उद्योग को उपलब्ध 80,492 करोड़ रुपये के ऋण में से 20,620 करोड़ रुपये लघु क्षेत्र को उपलब्ध था। स्थिति में यह काफी बड़ा सुधार है लेकिन अभी भी लघु क्षेत्र की ऋण आवश्यकताएँ पूरी नहीं हो पा रही है। लघु क्षेत्र की उधार पात्रता (credit worthyness) निर्धारित करने के लिए आधार बदलने की आवश्यकता है। सम्पत्ति या परिसम्पत्ति को आधार न मानकर लाभ कमाने की क्षमता को आधार मानना चाहिए। ब्याज की दर उचित होनी चाहिए ताकि लागत कम रहे और लाभ अधिक हों।

3) **तकनीकी सहायता :** लघु क्षेत्र की कई इकाइयों में प्रौद्योगिकी का स्तर काफी नीचा है और इनमें प्रशिक्षित तकनीकी व्यक्तियों की कमी है। बाज़ार में प्रभावी ढंग से प्रतियोगिता करने और नए-नए उत्पाद लाने हेतु प्रौद्योगिकी में बहुत सुधार की आवश्यकता है।

   लघु इकाइयों को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए सरकार ने दो संस्थाएँ स्थापित की है। प्रथम, केन्द्रीय लघु उद्यम संगठन (Central Small Scale Industries Organisation) जोकि सेवा संस्थानों (Service Institutes) व विस्तार केन्द्रों (Extension Centres) के माध्यम से लघु उद्योग को तकनीकी सलाह देती है। दूसरे, समान सुविधा वर्कशॉप (Common Facility) के माध्यम से भी तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है। ये बहुत कम प्रभाव (Charges) लेती है, लेकिन फिर भी इन सुविधाओं का पूरा लाभ नहीं उठाया जा रहा है।

4) **विपणन सहायता :** लघु क्षेत्र की इकाइयों की एक बहुत बड़ी कमी है इनके उत्पादों का मानकीकरण न होना। इससे इन उत्पादों की गुणवत्ता में अंतर आ जाता है। बड़ी

फर्में अपने ब्रांड-नाम और भारी विज्ञापन के कारण बाज़ार पर छाई रहती हैं। इससे लघु उद्यम उत्पाद बेचने में पीछे रह जाते हैं। उपभोक्ताओं के पसंद के अनुसार ये डिज़ाइन भी नहीं दे पाते हैं। ऐसा विशेषतः कपड़ों के बारे में सही बैठता है। अधिकतर उत्पादों में मानकीकरण आवश्यक होता है, जैसे बिजली का सामान, घड़ियों, जूते आदि। सरकार और खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग इसमें सहायता कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त विपणन एक विशिष्ट कार्य है जिसे सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा किया जाना चाहिए। खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने इस उद्देश्य से सारे देश में 22,000 दुकानें खोली हैं।

सरकार अपनी खरीद में भी लघु इकाइयों को प्राथमिकता दे सकती है। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम इन इकाइयों का मान सरकार व रक्षा संस्थानों को बेचने में सहायता करती है। इन सभी प्रयत्नों से लघु उद्योग की बिक्री में सुधार आया है।

पिछले चार दशकों से सरकार उपरोक्त उपायों द्वारा लघु उद्योग की सहायता करने का प्रयत्न कर रही है। इनमें लघु उद्योग को प्रोत्साहन तो मिला है लेकिन ऋण सुविधा की दशा में अभी बहुत कुछ करना बाकी है ताकि निजी साहुकारों पर उनकी निर्भरता कम हो सके।

बोध प्रश्न 2

1) लघु उद्योग को सरकार से किस तरह की सहायता मिलती है?

.....

.....

.....

.....

.....

2) तीन ऐसे प्रमुख संगठनों के नाम बताइए जो लघु उद्योग की सहायता करते हैं।

.....

.....

.....

.....

.....

18.6 लघु क्षेत्र औद्योगिक नीति (1991)

1991 की औद्योगिक नीति की घोषणा के कुछ महीने पश्चात् सरकार ने लघु क्षेत्र के बारे में औद्योगिक नीति की भी घोषणा की। इसमें बताया गया है सातवीं योजना के अंत में लघु क्षेत्र का हिस्सा विनिर्माण क्षेत्र सकल उत्पादन मूल्य का 35 प्रतिशत और देश के निर्यात का 40 प्रतिशत था। इसने 120 लाख लोगों का रोज़गार दिया। इस नीति का प्रमुख उद्देश्य लघु क्षेत्र को अधिक जीवन प्रदान करना और इसके विकास को प्रोत्साहन देना है ताकि उत्पादन, रोज़गार और निर्यात में लघु उद्योग का और अधिक योगदान हो।

लघु उद्योग की सीमा बढ़ाना

औद्योगिक नीति में यह बात बताई गई कि सरकार ने लघु उद्यम तथा सहायक व निर्यातमूलक उद्योग की संयंत्र तथा मशीनरी की निवेश सीमा क्रमशः 35 लाख रुपये और 45 लाख रुपये से बढ़ाकर 60 लाख रुपये और 75 लाख रुपये कर दी। अत्यंत लघु क्षेत्र की सीमा 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी।

इस नीति की एक मुख्य विशेषता यह है कि उद्योग से संबंधित सेवा और व्यावसायिक उद्योग को लघु उद्यम वर्ग में शामिल माना जाएगा और उनकी निवेश सीमा वही होगी जो अत्यंत लघु उद्योग की है।

जैसाकि हम भाग 18.1 में बता चुके हैं, उपरोक्त सभी निवेश सीमाएँ काफी बढ़ा दी गई हैं।

वित्तीय समर्थन उपाय

ऋण उपलब्धता के बारे में सरकार ने कहा कि अब कुछ लक्ष्य समूह को छोड़ सस्ते ऋण पर बल नहीं दिया जाएगा। सरकार ने यह निर्णय लिया है कि लघु उद्योग की पूँजी बाज़ार तक पहुँच बनाने, आधुनिकीकरण को प्रोत्साहन देने तथा प्रौद्योगिकी उन्नत करने हेतु अन्य औद्योगिक इकाइयों को लघु उद्योग की पूँजी में भागीदारी की आज्ञा होगी, जोकि कुल शेयरपूँजी का 24 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। इससे रोज़गार के अवसर बढ़ाने की दिशा में सहायकीकरण (ancillarisation) तथा उप-संविदा (Sub-Contracting) को ज़ोरदार प्रोत्साहन मिलेगा। विलम्बित भुगतान को सुलझाने की दिशा में एक शुरुआत हो चुकी है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (Small Industries Development Bank of India) द्वारा लेनदारी लेखा क्रय सेवाएँ (Factoring Services) प्रारंभ हो गई हैं। इन सेवाओं से अभिप्राय यह है कि विकास बैंक या कोई अन्य वाणिज्य बैंक लघु क्षेत्र के विनिर्माताओं से उनके बीजक (invoices) खरीद लेगा और कमीशन या दलाली वसूल कर उनसे भुगतान वसूल करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेगा। नीति में आगे बताया गया है कि सेवाएँ वाणिज्य बैंकों की सहायता से सारे देश में उपलब्ध करवाई जाएगी।

बुनियादी सुविधाएँ (Infrastructural Facilities)

लघु उद्योग विकास संगठन में एक प्रौद्योगिकी विकास कक्ष (Technology Development) की स्थापना की जाएगी। इसका उद्देश्य है लघु इकाइयों की प्रौद्योगिकी में सुधार लाना, जिससे उनकी उत्पादिता में वृद्धि हो और प्रतिस्पर्धा शक्ति बढ़े। सरकार लघु क्षेत्र को, विशेषतः अत्यंत लघु क्षेत्र को, देशी विदेशी कच्चे माल का उपयुक्त एवं समान वितरण सुनिश्चित करेगी।

विपणन व निर्यात

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम एक ब्रांड के अधीन जन उपभोक्ता वस्तुओं का विपणन करेगी। लघु उद्योग विकास संगठन का काम एक प्रमुख एजेंसी के रूप में लघु उद्योग के निर्यात को बढ़ावा देगा।

ग्रामीण उद्योग : हथकरघा क्षेत्र

बुनकरों को एक न्यूनतम जीविका स्तर उपलब्ध करवाने वाली 'जनता कपड़ा योजना' को विभिन्न चरणों में समाप्त कर दिया जाएगा। इसका स्थान एक सार्वजनिक परियोजना

पैकेज़ योजना (Project Package Scheme) लेगी। इसके अधीन करघों के आधुनिकीकरण, प्रशिक्षण, बढ़िया डिज़ाइन, बढ़िया रंग व रसायन, विपणन सहायता आदि के लिए करवाया जाएगा। इन सबके पीछे उद्देश्य यह है कि गाँवों में रोज़गार के साधन बने रहें और हथकरघा बुनकरों की जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो।

हथकरघा क्षेत्र तथा अन्य ग्रामीण उद्योग

गैर कृषि रोज़गार को बढ़ावा देने के लिए खादी ग्रामोद्योग कमीशन की गतिविधियों में वृद्धि की जाएगी। देश के कमज़ोर वर्गों जैसे अनुसूचित जाति व जनजाति तथा स्त्रियाँ आदि को लाभ पहुँचाने के लिए यह अब क्षेत्रीय विकास (Area Development) दृष्टिकोण अपनाएगा।

लघु क्षेत्र नीति (1991) का मूल्यांकन

आलोचकों के अनुसार इस नीति में बहुत सी कमियाँ हैं, जोकि इस प्रकार हैं :

प्रथम, लघु उद्योग को ऋण उपलब्ध कराने पर बल तो है लेकिन कोई ठोस योजना नहीं है। इससे पहले भी सस्ता ऋण एक कल्पना ही थी। लघु उद्योग से वसूल की जाने वाली ब्याज दर केवल 0.5 से लेकर 1.00 प्रतिशत ही कम थी। यह काफी नहीं था।

दूसरे, नई नीति से इस बात की व्यवस्था है कि बड़े उद्यम, देशी हो या विदेशी, छोटे उद्योग में 24 प्रतिशत तक शेयर पूँजी लगा सकते हैं। ऐसा इसलिए किया गया ताकि बड़ी इकाइयाँ लघु इकाइयों को आधुनिक तकनीकि का हस्तांतरण कर सकें। लेकिन इस नीति से लघु इकाइयाँ बड़ी इकाइयों का एक अंग मात्र बनकर रह जाएगी। 24 प्रतिशत शेयरपूँजी के साथ बड़ी इकाइयाँ लघु इकाइयों को अपने पूरे कब्जे में रख सकती है। अभी भी यह कहा जाता है कि रियायतों से लाभ उठाने के लिए बड़ी इकाइयाँ फर्ज़ी लघु इकाइयाँ खड़ी कर लेती है। नई औद्योगिक नीति तो इसे केवल कानूनी रूप दे रही हैं।

तीसरे, लघु इकाइयों के बीमार होने का एक बहुत बड़ा कारण है बड़ी इकाइयों द्वारा लघु इकाइयों को देरी से भुगतान। परिणामस्वरूप छोटी इकाइयों के पास नकदी प्रवाह कम हो जाता है और उत्पादन प्रक्रिया में कठिनाई आती है। नीति में इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है। इस दिशा में कड़े कानून बनाने की आवश्यकता है ताकि बड़ी इकाइयाँ समय पर भुगतान करें।

चौथे, नई नीति में बीमार इकाइयों के बारे में कोई विशेष कार्यक्रम नहीं है। आर्थिक सर्वेक्षण (1993-94) के अनुसार लघु क्षेत्र में 2 लाख 46 हजार बीमार इकाइयाँ हैं जिन पर 3100 करोड़ रुपये का बैंक ऋण बकाया है। अध्ययनों से पता चला है कि बीमार होने के मुख्य कारण कमज़ोर प्रबंध तथा पेशेवर प्रशिक्षण की कमी है। नई नीति में लघु उद्यमियों को प्रशिक्षण देने पर ध्यान देना चाहिए था।

एक बेहतर रास्ता यह होता है कि उद्यमियों की सहकारी टाइप की कोई संस्था बने जो इन्हें परियोजनाओं के चुनाव, आगतों की आपूर्ति के बारे में सूचना, उत्पादन तकनीक आदि के बारे में मार्गदर्शन दें और विपणन में सहायता करें। ऐसी सहकारी संस्था ऋण भी उपलब्ध करवाए। नई नीति ने ऐसी सहकारी संस्था बनाने की बजाय लघु उद्योग को निगमों का रूप देने की कोशिश की है। अन्य शब्दों में बड़े व्यवसायों को इन इकाइयों पर नियंत्रण रखने की इजाज़त दे दी। संवृद्धि व समानता की दृष्टि से यह नीति ठीक नहीं है।

1) लघु उद्योग क्षेत्र का विनिर्माण क्षेत्र के उत्पादन, रोज़गार व निर्यात में कितना भाग है?

.....

.....

.....

.....

.....

2) लघु क्षेत्र औद्योगिक नीति (1991) की तीन मुख्य सिफारिशें बताइए।

.....

.....

.....

.....

.....

18.7 आठवीं योजना में ग्रामीण व लघु उद्यम

आठवीं योजना में यह माना गया है कि लघु क्षेत्र रोज़गार पैदा करने का एक बहुत बड़ा साधन है और साथ-साथ गरीबी हटाने का भी। इस उद्देश्य से इस योजना में लघु क्षेत्र के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में 6334 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। उत्पादन, रोज़गार व निर्यात के निर्धारित लक्ष्य तालिका 18.4 में दिखाए गए हैं। लघु क्षेत्र के दो भाग हैं : आधुनिक तथा पारम्परिक। आधुनिक क्षेत्र का 1991-92 में 174378 करोड़ रुपये की तुलना में 1996-97 में 253343 करोड़ रुपये हो जाने की संभावना है। इस प्रकार योजना के अंत तक लघु क्षेत्र के कुल उत्पादन में आधुनिक क्षेत्र का योगदान 86 प्रतिशत और पारंपरिक क्षेत्र का 14 प्रतिशत होने की आशा है।

रोज़गार के क्षेत्र में, आठवीं योजना के दौरान आधुनिक लघु क्षेत्र में यह 179 लाख से बढ़कर 225 लाख हो जाने की संभावना है। पारंपरिक क्षेत्र में यह 264 लाख से बढ़कर 328 लाख हो जाएगा। योजना के अंत तक दोनों का तुलनात्मक योगदान क्रमशः 41 व 59 प्रतिशत ही रहेगा।

आधुनिक क्षेत्र का निर्यात 12658 करोड़ रुपये से बढ़कर 20200 करोड़ रुपये तथा पारंपरिक क्षेत्र का 19331 करोड़ रुपये से बढ़कर 30015 करोड़ रुपये होने की संभावना है। प्रतिशत रूप में, आधुनिक क्षेत्र का योगदान 55 प्रतिशत से घटकर 40 प्रतिशत और पारंपरिक क्षेत्र का 45 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत होगा। पारंपरिक क्षेत्र में मुख्य योगदान हस्तशिल्प का होगा। इसके निर्यात तीन गुना बढ़ने का लक्ष्य है। इनके अधिकतर खरीददार धनी वर्ग के होते हैं।

उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि लघु क्षेत्र का कुल रोज़गार में योगदान 553 लाख है, जबकि इसकी तुलना में संगठित क्षेत्र का योगदान केवल 85 लाख है। अतः रोज़गार बढ़ाने और गरीबी हटाने में लघु क्षेत्र का योगदान संगठित यानि निगमित क्षेत्र (corporate sector)

की तुलना में कहीं अधिक है, जबकि नई औद्योगिक नीति में निगमित क्षेत्र पर अधिक बल दिया गया है। निर्यात में भी लघु क्षेत्र का योगदान निरंतर बढ़ रहा है। अतः सरकार को लघु क्षेत्र को विकसित करने में ध्यान देना चाहिए।

तालिका 18.4 : ग्रामीण व लघु उद्योग : आठवीं योजना के लक्ष्य

उद्योग	उत्पादन (करोड़ रुपये)		रोज़गार (लाख व्यक्ति)		निर्यात (करोड़ रुपये)	
	1991-92	1996-97	1991-92	1996-97	1991-92	1996-97
1) आधुनिक लघु उद्योग	17434738 (89.3)	253343 (85.9)	179.0 (40.4)	225.5 (40.7)	12658 (55.1)	20200 (40.2)
i) लघु उद्योग	160000	233436	126.0	150.5	12658	20200
ii) विद्युत करघे	14378	19907	53.0	75.0	—	—
2) पारंपरिक उद्योग	20916 (14.1)	41432 (59.6)	264.3 (59.3)	328.2 (44.9)	10331 (59.8)	30015 (10.7)
iii) खादी वस्त्र	278	560	146.6	16.5	—	—
iv) ग्रामीण उद्योग	2150	3760	35.4	46.3	—	—
v) हथकरघा कपड़ा	4064	5690	106.0	117.0	450	1000
vi) रेशम उत्पादन	996	1590	54.6	65.0	600	1000
vii) हस्तशिल्प	13260	29620	48.3	77.7	9215	27915
viii) जूट रेशा	168	212	5.5	5.5	5.8	100
कुल (1+2)	**195294 (100.0)**	**294775 (100.0)**	**443.5 (100.0)**	**553.5 (100.0)**	**22989 (100.0)**	**50215 (100.0)**

नोट : कोष्ठक में दिए गए अंक प्रतिशत हैं।

स्रोत : आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97), योजना आयोग।

18.8 सरकारी घोषणाओं तथा वास्तविक नीति अमल के बीच अंतर

सरकार की कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। लघु उद्योग पर एक विशेषज्ञ समिति, आबिद हुसैन समिति, ने अपनी रिपोर्ट जनवरी 1997 में प्रस्तुत की। इसमें दो प्रमुख सिफारिशें की गईं। प्रथम, लघु उद्यमों में उत्पाद आरक्षण समाप्त किया जाए। यह सिफारिश इसलिए की गई क्योंकि इनमें से बहुत सारे उत्पाद लघु क्षेत्र बनाता ही नहीं है या फिर बहुत कम मात्रा में बनाता है। दूसरे, अत्यंत लघु इकाइयों की निवेश सीमा 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी जाए और लघु व सहायक इकाइयों की निवेश सीमा क्रमशः 60 लाख रुपये और 75 लाख रुपये से बढ़ाकर 300 लाख रुपये कर दी जाए। सरकार ने ये सीमाएँ बढ़ाने का निर्णय ले लिया है। लघु क्षेत्र की आरक्षण सूची से 14 उत्पाद भी हटा दिए गए हैं जिसमें चावल दलना, दाल दलना, मुर्गी चारा, सिरका, कृत्रिम चाश्नी, बिस्कुट, आइसक्रीम, स्वचालित वाहनों के कुछ पुर्जे, नालीदार चादरें व पेपर बोर्ड।

लघु उद्योगों के प्रतिनिधियों ने सरकार के दोनों फैसलों की आलोचना की है। प्रथम, निवेश सीमा 60 लाख रुपये से बढ़ाकर 300 लाख रुपये यानि पाँच गुना क्यों की गई। कीमतों में

वृद्धि के कारण तो यह वृद्धि कुछ समझ में आ सकती है, लेकिन मई 1990 और मई 1997 के बीच तो ये कीमतें केवल 88 प्रतिशत ही बढ़ी है, फिर निवेश सीमा में वृद्धि 500 प्रतिशत क्यों? स्पष्ट है कि इससे बड़े उद्योगों द्वारा लघु उद्योगों वाली रियायतें प्राप्त करने का रास्ता खुल जाएगा। इससे लघु क्षेत्र में रोज़गार कम हो जाएगा और सामाजिक न्याय पर बुरा असर पड़ेगा।

लघु क्षेत्र के लिए सुरक्षित 822 मदों में से 60 मदों का उत्पादन लघु क्षेत्र के कुल उत्पादन का 80 प्रतिशत है। सरकार को उन मदों का आरक्षण समाप्त करना चाहिए था जिनका कुल उत्पादन में योगदान बहुत कम है, लेकिन वास्तविकता में उन मदों का आरक्षण समाप्त किया गया जो 60 सफल मदों की सूची में आती हैं।

सरकार लघु उद्योग को आगे बढ़ाने की हिमायत तो करती हैं, लेकिन इसकी वास्तविक नीतियाँ इस पर बुरा प्रभाव डालती हैं। यह द्वंद्व समाप्त होना चाहिए, यदि गतिशील लघु क्षेत्र को मज़बूत करना है। योजना आयोग के कार्यकारी दल ने तो आरक्षण नीति का पक्ष लिया है। इसके अनुसार आरक्षण समाप्त कर देने से न केवल लघु क्षेत्र का विकास रुकेगा बल्कि क्षेत्र से अनुचित प्रतिस्पर्धा भी होगी।

18.9 सारांश

लघु उद्योग की परिभाषा

यह परिभाषा संयंत्र व मशीनरी में निवेश सीमा के आधार पर की जाती है। 1990 में लघु उद्योग और सहायक उद्योग की यह सीमा क्रमशः 60 लाख रुपये और 75 लाख रुपये थी। एक सहायक इकाई उसे कहते हैं जो अपने उत्पादन का 50 प्रतिशत एक या अधिक औद्योगिक इकाइयों को बेचती है। अत्यंत लघु इकाई की सीमा 5 लाख रुपये थी। 1997 में लघु उद्योग, सहायक उद्योग व अत्यंत लघु उद्योग की निवेश सीमाएँ बढ़ाकर क्रमशः 300 लाख रुपये, 300 लाख रुपये और 25 लाख रुपये कर दी गई।

लघु उद्योग दो प्रकार के होते हैं : आधुनिक और पारंपरिक। आधुनिक उद्योगों में ऊँची कीमत वाले उत्पाद बनते हैं, जैसे बिजली के उपकरण, मशीनी औज़ार उपकरण, कम्प्यूटर के पुर्जे आदि। पारंपरिक लघु उद्योग में खादी व हथकरघा, ग्रामीण उद्योग, हस्तशिल्प, रेशम उत्पादन आदि शामिल हैं। आधुनिक क्षेत्र का उत्पादन व रोज़गार में योगदान क्रमशः 86 प्रतिशत व 40 प्रतिशत है। आधुनिक क्षेत्र में पारंपरिक क्षेत्र की तुलना में उत्पादिकता का स्तर 9 गुना है।

लघु उद्योगों का औचित्य

लघु उद्योगों के पक्ष में चार तर्क दिए जाते हैं :

i) ये बड़ी मात्रा में रोज़गार पैदा करते हैं क्योंकि ये श्रम प्रधान होते हैं।

ii) लघु उद्योग बड़ी संख्या में छोटे स्वामियों और श्रमिकों के बीच आय का बँटवारा अधिक विस्तृत होता है। इससे असमानताएँ कम होती हैं और सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिलता है।

iii) लघु उद्यमों से उत्पादन के विकेन्द्रीकरण में सहायता मिलती है। इससे शहरों में भीड़-भाड़, प्रदूषण और गंदी बस्तियों में कमी आती है।

iv) लघु उद्यम गाँवों और शहरों में पड़े बेकार साधनों को जुटाने में सहायता मिलती है।

उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण 1993-94 से पता चलता है कि बड़े उद्योगों में लघु उद्योगों की अपेक्षा प्रति कर्मचारी उत्पादक पूँजी 8 गुना लगती है लेकिन पूँजी का प्रति इकाई मूल्य वृद्धि-दर केवल 2.6 गुना है। इससे इस विचार को समर्थन मिलता है कि रोज़गार और उत्पादन दोनों ही दृष्टिकोण से एक पूँजी की कमी वाले देश में छोटी इकाइयाँ बड़ी इकाइयों से बेहतर हैं।

भारतीय अर्थव्यवस्था में लघु क्षेत्र का विकास

1980-81 और 1995-96 के बीच लघु इकाइयों की उत्पादन दर 18-19 प्रतिशत प्रति वर्ष रही। रोज़गार वृद्धि-दर 1980-81 से 1990-91 के बीच 5.8 प्रतिशत प्रति वर्ष और 1990-91 से 1995-96 के बीच 4 प्रतिशत प्रति वर्ष थी। 1995-96 में लघु उद्योगों का निर्यात कुल निर्यात का 34 प्रतिशत था।

लघु उद्योगों की असमर्थताएँ दूर करने हेतु सरकारी नीति

i) दुर्लभ कच्चा माल और आयातित पुर्जे व साज़-सामान उपलब्ध कराने में सहायता,

ii) सस्ते ऋण की व्यवस्था,

iii) लघु उद्यमों में लगे कारीगरों और उद्यमियों को प्रशिक्षण,

iv) विपणन में सहायता।

लघु क्षेत्र औद्योगिक नीति (1991)

इसने निम्नलिखित प्रमुख परिवर्तन किए :

i) लघु उद्योग, सहायक उद्योग व अत्यंत लघु उद्योग की पूँजी निवेश सीमाएँ बढ़ाकर क्रमशः 60 लाख रुपये, 75 लाख रुपये और 5 लाख रुपये कर दी गईं।

ii) सभी छोटे उद्योग संबंधित सेवाओं को व व्यावसायिक उद्योगों को लघु उद्योग माना गया।

iii) सस्ते ऋण पर बल न देकर उपयुक्त मात्रा में ऋण पर बल।

iv) लघु उद्योगों की शेयर पूँजी में औद्योगिक इकाइयों की 24 प्रतिशत तक की भागीदारी की छूट।

v) विलम्ब भुगतान की समस्या सुलझाने हेतु भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा लेनदारी लेखा क्रय सेवाएँ।

vi) लघु उद्योगों की प्रौद्योगिकी में सुधार लाने हेतु प्रौद्योगिकी विकास कक्ष की स्थापना।

vii) आठवीं योजना के अंत तक जनता कपड़ा योजना समाप्त।

viii) हथकरघा क्षेत्र का आधुनिकीकरण।

आलोचकों का विश्वास है कि बड़ी इकाइयों द्वारा लघु इकाइयों की शेयर पूँजी में 24

प्रतिशत तक भागीदारी की आज्ञा देने से बड़ी इकाइयाँ छोटी इकाइयों पर अधिक नियंत्रण करने लगेंगी। नई नीति में बड़ी इकाइयों द्वारा विलम्बित भुगतान की समस्या के लिए कुछ नहीं कहा गया है। 2 लाख 40 हजार बीमार इकाइयों के बारे में भी कुछ नहीं कहा गया है। नई नीति लघु उद्योगों में सहकारिता को बढ़ावा देने की बजाय निगमीकरण को बढ़ावा दिया गया है।

आठवीं योजना में ग्रामीण व लघु उद्योग

आठवीं योजना के मुख्य लक्ष्य हैं : लघु क्षेत्र के कुल उत्पादन में आधुनिक क्षेत्र का योगदान 86 प्रतिशत और पारंपरिक क्षेत्र का 14 प्रतिशत हो जाएगा। रोज़गार और निर्यात में पारंपरिक क्षेत्र का योगदान क्रमशः 59 प्रतिशत और 60 प्रतिशत होने की संभावना है। संगठित क्षेत्र की 85 लाख की तुलना में लघु क्षेत्र में वर्ष 1996-97 तक रोज़गार 553 लाख होगा।

सरकारी घोषणाओं तथा वास्तविक नीति अमल के बीच अंतर

सरकार ने आबिद हुसैन कमेटी की सिफारिशों के आधार पर लघु उद्योग, सहायक उद्योग व अत्यंत लघु उद्योग की पूँजी निवेश सीमा बढ़ाकर क्रमशः 3 करोड़ रुपये, 3 करोड़ रुपये और 25 लाख रुपये कर दी। दूसरे, सरकार ने 14 मदों को लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित उत्पादों की सूची से निकाल दिया। आलोचकों का कहना है कि पूँजी सीमा बढ़ाकर बड़े उद्योगों को छोटे उद्योगों में प्रवेश करने का रास्ता खोल दिया है। आरक्षित सूची से 14 उत्पाद निकाल देने से लघु क्षेत्र को हानि होगी। अतः लघु उद्योग के बारे में सरकार की कथनी और करनी में बहुत अंतर है।

18.10 शब्दावली

आनुषंगिक इकाई : वह इकाई जो एक या एक से अधिक औद्योगिक इकाइयों को कम से कम पचास प्रतिशत उत्पादन बेचती हैं।

सहकारीकरण : इसके अन्तर्गत अधिक से अधिक छोटी इकाइयों को एक जुट करने की प्रक्रिया सम्मिलित है। ताकि वे एकजुट होकर काम कर सकें। एक सहकारी समिति के रूप में यह इकाइयाँ ज्यादा प्रभावी होती हैं। और अपने लिए बेहतर लाभ कमा सकते है।

निगमीकरण : निगमीकरण में किसी एक क्षेत्रक की पूँजी के हिस्सेदारी में निगम क्षेत्रक की भागेदारी में बढ़ोतरी की प्रक्रिया आती है।

कारखाना सेवा (Factoring Service) : इसका तात्पर्य है कि कोई भी विकास या व्यापारिक बैंक लघु उद्योगों से उत्पादन बीजक खरीदकर उन्हें मिलने वाले भुगतानों को एकत्र करने का उत्तरदायित्व ले लेता है। इसके बदले उनसे कमीश्न या दलाली लेता है।

लघु उद्यम : भारतीय सरकार के अनुसार जिस उद्यम के स्थापन और मशीनरी में तीन करोड़ रुपये तक का निवेश हो वह लघु उद्यम है।

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) : छोटे उद्योगों के विकास के लिए विशेष रूप से ऋण व्यवस्था के लिए खोले गए बैंक।

लघु उद्योग विकास निगम : ऐसी संस्था जो प्राथमिक रूप से लघु उद्योगों को कच्चे माल और अवयव आबंटन करने के लिए बनाई गई संस्था।

अति लघु इकाई : वह है जिसके स्थापन और मशीनरी में 25 लाख रुपये तक का निवेश हो।

18.11 कुछ उपयोगी पुस्तकें

Ruddar Datt and K.P.M. Sundharam (1999) : *Indian Economy*, S. Chand & Co., New Delhi.

योजना आयोग (1956) : दूसरी पंचवर्षीय योजना

योजना आयोग (1992) : आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97)

भारत सरकार (1997) : Report of Expert Committee on Small Enterprieses.

18.12 बोध प्रश्नों के उत्तर अथवा दिशा-संकेत

बोध प्रश्न 1

1) एक लघु उद्यम का निर्धारण उसमें निवेशित आरम्भिक पूँजी के आधार पर होता है। मँहगाई के अनुसार मूल्यों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए यह सीमा समय-समय पर बढ़ाई जाती है। 1997 से यह सीमा तीन करोड़ रुपये है।

2) एक आनुषंगिक इकाई वह है जिसका निर्गत बड़े और मध्यम उद्योगों में आगत के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। वर्तमान में इसकी परिभाषा एक ऐसी इकाई के रूप में दी जाती है जो एक या एक से अधिक औद्योगिक इकाइयों को पचास प्रतिशत से कम का अपना उत्पादन नहीं बेचती। आनुषांगिक इकाइयों में निवेश की सीमा तीन करोड़ रुपये है।

बोध प्रश्न 2

1) सरकार लघु उद्योगों को कच्चे माल के आबंटन, कम दर पर ऋण तकनीकी सहायता और बाजारी सुविधाओं के संबंध में मदद देती है। अन्य विवरणों के लिए भाग 18.4 पढ़ें।

2) लघु उद्योगों को सहायता देने वाले तीन मुख्य संस्थाएँ हैं : SIDBI, CSIO and NSIC.

बोध प्रश्न 3

1) उत्पादन निर्गत में 35% रोजगार में 85% और निर्यात में 40%

2) लघु उद्योग नीति 1991 में कई कदम उठाए गए। उनमें तीन मुख्य इस प्रकार हैं :
   i) पर्याप्त ऋण व्यवस्था
   ii) बड़े उद्योगों द्वारा साम्या भागेदारी (Equity Participation)
   iii) एक ब्राण्ड के माध्यम से NSIC द्वारा विपणन